हाई कोर्ट में इंटरसिटी और सिटी बसों पर हुई सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में संचालित इंटरसिटी व सिटी बसों की स्थिति पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शासन ने बताया कि सभी रूटों पर बस किराए को राउंड आफ किया गया है। हाई कोर्ट ने सिटी बसों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने कहा है।

बिलासपुर में सिटी बसों की जर्जर हालत और प्रदेश में संचालित अंतर-नगरीय बस सेवा को लेकर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। इसके बाद इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की गई थी। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने पूछा था कि जर्जर होती बसों को लेकर शासन क्या कदम उठा रहा है। इस पर शासन की ओर से जवाब दिया गया था कि केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी योजना के तहत पीएमई बसें आ रही हैं, जिससे पुरानी बसों की समस्या दूर हो जाएगी। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट जानकारी देने और निजी बस संचालकों द्वारा तय किराया दरों की भी जानकारी देने को कहा था। इसके अलावा, सभी बसों में किराया सूची डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट भवन। ● फाइल फोटो

अब किराया दशमलव में नहीं होगा

सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अब सभी रूटों पर बस किराया राउंड आफ कर दिया गया है। अब किसी भी रूट पर किराया दशमलव में नहीं होगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिवीजन बेंच ने शासन को निर्देश दिया कि सिटी बसों की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी पेश की जाए। इसमें यह बताया जाए कि कितनी बसें फिट होकर चल रही हैं और कितनी जर्जर हो चुकी हैं। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

AnyScanner